कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर जिला सीहोर (म.प्र.)

क्रमांक 86 /एस.डब्ल्यू/22 सीहोर, दिनांक 14/01/2022

//आदेश//

(अंर्तगत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2 भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2022 में प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में जिला सीहोर की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोकशान्ति बनाये रखने के लिए मै **चन्द्रमोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर** दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित करता हूँ :-

1) जिले में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी, 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।
2) जिले में सभी प्रकार के मेले (धार्मिक/व्यावसायिक), जिनमें जन समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे । समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे।
3) जिले में समस्त राजनैतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/सामाजिक/शैक्षणिक/मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्यिों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
4) जिले में बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन/कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।
5) जिले में खेलकूद संबंन्धी गतिविधियॉ के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
6) अनुविभागीय दण्डाधिकारी (समस्त) अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत पुलिस एवं स्थानीय निकाय के अमले के साथ आम जन मानस से कोविड उपयुक्त व्यवहार (जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। एवं मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश आमजनता को संबोधित है। चूँकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही ये संभव है कि इस आदेश की पूर्वसूचना प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः तामिल की जावे। अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्डसंहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश दिनांक 14/01/2022 से लागू होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

आदेश खुले न्यायालय में मेरी पदमुद्रा के साथ पारित एव उदघोषित।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
जिला दण्डाधिकारी
सीहोर

पृ.क्रमांक 87 /एस.डब्ल्यू/22 सीहोर, दिनांक 14/01/2022

प्रतिलिपिः–

1. अपरमुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग भोपाल, मंत्रालय, वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मान. मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भोपाल जोन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षकजिला सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. अपर जिला दण्डाधिकारी सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी(समस्त) / तहसीलदार(समस्त) की ओर पालनार्थ प्रेषित।
9. अनुविभागीय अधिकारीपुलिस (समस्त) / थाना प्रभारी(समस्त) की ओर पालनार्थ प्रेषित।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक संचालक जन संपर्क सीहोर की ओर आदेश समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी सीहोर की ओर सीहोर जिलें की शासकीय बेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
जिला दण्डाधिकारी
सीहोर